

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, गया के पत्रांक 1053 दिनांक 29.9.16 (जिला पदाधिकारी, गया का स्वीकृत्यादेश संलग्न) से दुर्घटना में मृत 01 श्रमिक के आश्रित को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) एवं 04 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 120000/- (एक लाख बीस हजार रूपए) अर्थात् कुल ₹ 220000/- (दो लाख बीस हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव हुआ था। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगार के आश्रित को पूर्व में निर्गत विमुक्ति आदेश ज्ञापांक 489 दिनांक 23.12.16 द्वारा खाता संख्या 72310700088141, आई.एफ.एस.सी PUNBOMBGB06, 72310700088169 आई.एफ.एस.सी PUNBOMBGB06, 72310700087966 आई.एफ.एस.सी PUNBOMBGB06, 72310700087984 आई.एफ.एस.सी PUNBOMBGB06 एवं 72310700088044 आई.एफ.एस.सी PUNBOMBGB06 में राशि अंतरित किया गया था, परंतु आश्रितों/लाभार्थियों का बैंक खाता विवरणी त्रुटिपूर्ण रहने के कारण राशि का अंतरण नहीं हो सका।

अतः पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक 489 दिनांक 23.12.16 के क्रमांक 01, 03, 04, 05 एवं 06 को रद्द किया जाता है।

श्रम अधीक्षक, गया के पत्रांक 1125 दिनांक 2.8.17 द्वारा प्राप्त बैंक खाता विवरणी के अनुसार तथा मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति हेतु आदेश दिया जाता है, जिसका व्यौरा निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम(संबंध)	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम	आई.एफ. एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का व्यौरा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० बालेश्वर मांझी, स्व० कारु मांझी, अनु० जाति	श्रीमती सुगन्ती देवी(पत्नी)	ग्रा०-माड़नपुर, पो०-चाँदचौरा, था०-सिविल लाईन, नगर, गया	492300010 0096246	पंजाब नेशनल बैंक, ए.पी. कॉलोनी, गया	PUNB04 92300	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु
2	स्व० किशोरी रविदास, स्व० अमृत रविदास, अनु० जाति	श्रीमती गुड़िया देवी(पत्नी)	ग्रा०-खटकाचक, पो०-चाँदचौरा, था०-सिविल लाईन, प्र०-नगर, गया	492300170 0023092	पंजाब नेशनल बैंक, ए.पी. कॉलोनी, गया	PUNB04 92300	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु
3	स्व० महावीर मांझी, स्व० एतवार मांझी, अनु० जाति	श्रीमती शांति देवी(पत्नी)	ग्रा०-माड़नपुर, पो०-चाँदचौरा, था०-विष्णुपद(सिविल लाईन), प्र०-नगर, गया	492300010 0096945	पंजाब नेशनल बैंक, ए.पी. कॉलोनी, गया	PUNB04 92300	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु
4	स्व० बसंत मांझी, स्व० जेठू मांझी, अनु० जाति	श्रीमती गौरी देवी(पत्नी)	ग्रा०-माड़नपुर ब्रह्मम्योणी, पो०-चाँदचौरा, था०-सिविल लाईन, प्र०-नगर, गया	723101001 07790	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, ए.पी.कॉलोनी, गया	PUNBO MBGB06	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु
5	स्व० तारा साव, स्व० सिताराम साव, अति पि०	श्रीमती सुशीला देवी(पत्नी)	ग्रा०-नवागढ़ी, पो०-चाँदचौरा, था०-सिविल लाईन नगर, प्र०-नगर, गया	723101001 07806	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, ए.पी.कॉलोनी, गया	PUNBO MBGB06	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु

कुल :- ₹ 220000/-

(दो लाख बीस हजार रूपए मात्र)



2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत अनुदान राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 5 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति-कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-32/2015 के पृष्ठ-35/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

ह०/-

ह०/-

(कामिनी कुमारी)

(डा० गणेश कुमार झा)

(गोपाल मीणा)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

मुख्य वित्त पदाधिकारी

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० सं०-32/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

ह०/-

ह०/-

(कामिनी कुमारी)

(डा० गणेश कुमार झा)

(गोपाल मीणा)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

मुख्य वित्त पदाधिकारी

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० सं०-32/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए।

ह०/-

ह०/-

ह०/-

(कामिनी कुमारी)

(डा० गणेश कुमार झा)

(गोपाल मीणा)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

मुख्य वित्त पदाधिकारी

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० सं०-32/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 220000/- (दो लाख बीस हजार रूपए रूपए)का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-

ह०/-

ह०/-

(कामिनी कुमारी)

(डा० गणेश कुमार झा)

(गोपाल मीणा)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

मुख्य वित्त पदाधिकारी

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-32/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- श्रम अधीक्षक, गया के उनके पत्रांक 1125 दिनांक 2.8.17 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

(कामिनी कुमारी)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-32/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

(कामिनी कुमारी)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-


(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-32/2015-551

पटना, दिनांक :-11-12-17

प्रतिलिपि :- आईटी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


11/12/17


(कामिनी कुमारी)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी


11/12/17

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी


11/12/17

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।